


2
4-9-12

न्यायालय शीतल राजन मंडल कवालिफ करी
की वीवा प्रोड्यूस



दिना. 25-90/2/12

विधि-3124-I/1/2/12

5570
3/9/12

C.F. 10/-
श्री. एन. के. शिवाजी

- हाबेस

अपीलकर्ता श्री. एन. के. शिवाजी
द्वारा प्रस्तुत
सेवा, दिनांक 3.09.2012

वाम प्रकट

- हाबेस

प्रार्थना कि धारा 35(3) कसपठित
धारा 32 मरुएए

क्रमांक 2592
उच्च न्यायालय द्वारा आज
दिनांक को प्राप्त

हाबेस के आदेश

यह कि उपरोक्त इमान का निगरानी कर
महरीन मंडल के तहत सपरा नकल है
विपत का

1) यह कि वस्तु प्रकट हाबेस एवं उद्देश्यवित्ता
उप नही है कि लिखित प्रकट करन करनी
में लागू हो गया है

2) यह कि हाबेस के कविविषय लागू में यह
जुदे के लिखित वस्तु प्रकट न्यायालय में उका
नही है जउे नकल कविविषय नाल उका हीने
लागू नही कोरि लागू नही नही कि उरि हीने
न्यायालय में शक्य प्रकट है

इतः प्रार्थना कि धारा 35(3) कसपठित
धारा 32 मरुएए

दिनांक 3/9/12 2012

लला कविविषय


हाबेस
को नकल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक M-3124-I/12 जिला सिंगरौली

सोन कलिया/राम प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29/9/2015	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रकरण आदेश हेतु लिया गया।2. आवेदक अभिभाषक श्री एनकेके मिश्रा के तर्क सुने गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि निगरानी प्रकरण क्रमांक R-2590-I/12 में पेशी दिनांक 31.08.15 नियत थी। पुकार पर नियत पेशी को वह उपस्थित नहीं हो सका, जिस पर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। पुर्नस्थापन का आवेदन समय-सीमा में दिया गया है। अतः प्रकरण पुर्नस्थापित किया जावे।3. प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन का आवेदन मय शपथ पत्र दिनांक 03.09.12 को न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो समय सीमा में है। अतः प्रकरण क्रमांक R-2590-I/12 पुनः नम्बर पर लिया जाता है।4. मूल प्रकरण तलास कर इस प्रकरण के साथ रखा जावे।	 सदस्य